भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3174

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2023(30 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

*****

एयर टर्बाइन ईंधन पर वैट

3174. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दरभंगा हवाई अड्डे पर एयर टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर बिहार सरकार द्वारा लगाए गए वैट का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या दरभंगा हवाई अड्डे पर त्योहारों के दौरान हवाई किराए में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने के लिए कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) बिहार सरकार द्वारा एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगाया जाने वाला वैट दर आरसीएस हवाईअड्डे के लिए 1%, गया हवाईअड्डे के लिए 4% और बाकी के लिए 29% है।

(ख) और (ग): 'उड़ान' योजना के अंतर्गत बोली के दूसरे दौर के दौरान, भारतीय वायु सेना के स्वामित्व वाले दरभंगा हवाईअड्डे को विकास और आरसीएस उड़ानें प्रचालित करने के लिए पहचान की गई थी। स्पाइसजेट (चयनित एयरलाइन ऑपरेटर) ने 8 नवंबर, 2020 को दरभंगा को बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाले मार्गों पर आरसीएस उड़ानें शुरू कीं।

सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत 40 आरसीएस सीटों के लिए विमान किराया तीन वर्ष के लिए सीमित कर दिया था, गैर-आरसीएस सीटों की शेष राशि एयरलाइन अपनी व्यावसायिक योजना के अनुसार ले सकती है। अब, स्पाइसजेट का 3 वर्ष का आरसीएस कार्यकाल 07.11.2023 को पूरा हो गया है और विमान किराया तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में एयरलाइनें दरभंगा हवाईअड्डे के लिए/से गैर-आरसीएस उड़ानें प्रचालित करती हैं।

प्रचलित विनियमन के अनुसार, विमान किराया सरकार द्वारा न तो स्थापित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है। एयरलाइन द्वारा स्थापित विमान किराया प्रकृति में गतिशील है और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन करता है। किराया कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे किसी विशेष उड़ान पर पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, मौजूदा ईंधन की कीमत, मार्ग पर विमान के प्रचालन की क्षमता, सेक्टर पर

प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबी अवधि सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि।

******